

कार्यालय आयुक्त निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत स्थापित)
कार्यालय - 100 ओल्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून। फोन नं० 0135 - 2669981

संख्या : 285 / आ0नि0ज0 / 2012

दिनांक : 30 दिसम्बर, 2012

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

निदेशालय समाज कल्याण विभाग

हल्द्वानी, नैनीताल।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की 6(3) के अंतर्गत अनुरोध पत्र का
हस्तान्तरण।

महोदय,

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत श्री ए0 विश्वनाथन, पॉलिसी एनालस्टि, सेन्टर फॉर
इन्टरनेट एण्ड सोसाइटी, बँगलूर (कर्नाटक) का अनुरोध-पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है
जिसमें चाही गयी सूचना समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है। अतः अनुरोध पत्र एवं भारतीय
पोस्टर आर्डर की मूल प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया
अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-अनुरोध पत्र व पोस्टर सं० 999432

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय आयुक्त

निःशक्तजन उत्तराखण्ड

देहरादून।

प्रतिलिपि : श्री ए0 विश्वनाथन, पॉलिसी एनालस्टि, सेन्टर फॉर इन्टरनेट एण्ड सोसाइटी, बँगलूर
(कर्नाटक) को सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय आयुक्त

निःशक्तजन उत्तराखण्ड

देहरादून।

राज्य सरकार द्वारा निःशक्तजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएँ

1. निःशक्तजनों को भरण-पोषण अनुदान(पेंशन)— बी0पी0एल0 श्रेणी अथवा रू0 1000/- मासिक आय तक के निःशक्तजनों को रू0 600/- प्रतिमाह पेंशन तथा कुष्ठ रोग से मुक्त को रू0 1000/-प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
2. निःशक्त छात्रवृत्ति— निःशक्त छात्र/छात्राओं एवं निःशक्त अभिभावकों के बच्चों को जिनकी मासिक आय रू0 2000.00 तक है, छात्रवृत्ति दी जाती है।
3. कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय अनुदान— निःशक्तजनों जिनकी मासिक आय रू0 1000/- तक हो, को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु रू0 3500/-अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है।
4. निःशक्तजनों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना— निःशक्तजनों जिनकी स्वयं की भूमि हो, को दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000/- जिसमें रू0 15000/- अनुदान पर 4% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाता है तथा शेष रू0 5000/- अनुदान के रूप में दिया जाता है।
5. दक्ष निःशक्त कर्मचारियों, स्वतः रोजगार में कार्यरत निःशक्तजनों एवं उनके सेवायोजकों एवं प्लेसमेन्ट अधिकारियों — दक्ष निःशक्त कर्मचारियों, स्वतः रोजगार में कार्यरत निःशक्तजनों एवं उनके सेवायोजकों को विभाग द्वारा रू0 5000/- के नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान दिया जाता है।
6. निःशक्त युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार— निःशक्त युवक/युवती से विवाह करने पर विभाग द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसमें युवक के निःशक्त होने पर रू0 11,000/- युवती के निःशक्त होने पर रू0 14,000/- तथा दोनों के निःशक्त होने पर रू0 14,000/- प्रदान किये जाते हैं।
7. राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशक्तजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा—राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

8. एडिप (ADIP) योजना- Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of AIDS/Appliances इस योजना के अन्तर्गत इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी/संस्थाओं के माध्यम से निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं-

1. (नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट), सेवाधाम सेवानगर, हीरण मगरी, सेक्टर-4, उदयपुर-313040-60 राजस्थान
2. बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, 155, राजपुर रोड, देहरादून।
3. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून

अध्याय - 9

निःशक्तजनों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख निर्देश/आदेश

क्र० सं०	विभाग का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	विषय
1.	कार्मिक विभाग	संख्या 432/XXX(2)/2005 दिनांक 14.03.2005	निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में।
2.	समाज कल्याण विभाग	संख्या 488/XVII-2/2010-06(39)/2005 दिनांक 19.08.2010	उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।
3.	समाज कल्याण विभाग	संख्या 1000/XVII-2/2010-06(39)/2005 दिनांक 15.10.2010	उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 19-08-2010 की तालिका के क्रमांक-2 के स्तम्भ-4 में संशोधन।
4.	कार्मिक विभाग	सं० 1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010	राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में क्षैतिज आरक्षण।
5.	समाज कल्याण विभाग	सं० 1407/XVII-02/2011-10(01)/2009 दिनांक 15.12.2011	परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण-पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011